UPEW010020842026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

उपस्थितः आलोक कुमार श्रीवास्तव..... एच.जे.एस

(J.O.Code NO.U.P.1546)

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०–668/2026

अजय दोहरे उर्फ राहुल उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र सिपाही लाल निवासी गढेवा थाना रूरा जिला कानपुर देहात।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ।

विशेष वाद संख्या –34/2018
मु०अ०संख्या–540/2017
धारा–147,148,149,307,420,467,
468,471 भा०दं०संहिता व
धारा–10/12 द०प्र०क्षे०अधिनियम।
थाना–भरथना ,जिला–इटावा।

दिनांक 09.04.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **अजय दोहरे उर्फ राहुल** पुत्र सिपाहीलाल निवासी गढेवा थाना रूरा जिला कानपुर देहात की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत किया गया।

2. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

3. विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग करेगा। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूंठा फंसाया गया है। वह पूर्व में जमानत पर था तथा काम करने बाबत बाहर चला गया था और वहीं पर बीमार हो गया और वकील साहब से संपर्क नहीं

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.04.17 19:26:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कर सका,जिस कारण उसके विरूद्ध दिनांक 23.02.2024 को बिना जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये। वह जिला कारागार इटावा में विशेष वाद सं०–171/2017 थाना फ्रैण्ड्स कालोनी सरकार बनाम तुलसीराम दोहरे आदि धारा–392 भा०दं०संहिता में बंद था,जिसमें तलब किया गया। उक्त मुकदमे में उसकी जमानत दिनांक 23.03.2025 को हो चुकी है। उसको जिला कारागार इटावा से दिनांक 18.03.2026 को न्यायालय में तलब किया गया और वारण्ट बनाकर जेल भेज दिया गया। उक्त दिनांक से वह जिला कारागार इटावा में उपरोक्त मुकदमे में बंद है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है और न ही भविष्य में इस प्रकार गलती कभी करेगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तर्कों के आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक 27.01.2018 प्रेषित हुआ है,जिस पर संज्ञान लिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्त की जमानत आरोप पत्र प्रेषित होने से पूर्व में दिनांक 25.09.2017 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी है। यह भी दर्शित है कि प्रकरण में अभियुक्त जमानत के पश्चात न्यायालय उपस्थित आता रहा,किन्तु दौरान विचारण वह अनुपस्थित हो गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध बिना जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये तत्पश्चात अभियुक्त की ओर से वारण्ट रिकॉल प्रार्थनापत्र दिया गया जोकि स्वीकृत हुआ। यह भी दर्शित है कि बादहू अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया,किन्तु दौरान विचारण अभियुक्त अनुपस्थित हो गया। अभियुक्त के उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध बिना जमानतीय अधिपत्र के साथ–साथ जमानतीयों को नोटिस भी निर्गत की गयी अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह काम करने बाहर चला गया था,जहाँ पर वह बीमार हो गया व अपने वकील से सम्पर्क नहीं कर सका साथ ही साथ यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त विशेष वाद संख्या–171/2017 के प्रकरण में भी जिला कारागार इटावा में बंद था एवं उक्त प्रकरण में उसकी जमानत स्वीकार हो चुकी है। इस सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से विशेष वाद संख्या–171/2017 से सम्बन्धित जमानत आदेश दिनांकित 23.03.2026 की प्रति भी दाखिल की गयी है। साथ ही साथ आवेदक/अभियुक्त की ओर से शपथपत्र मिनजानिब रूवी पत्नी

अजय दोहरे का शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। यह भी दर्शित है कि अभियुक्त उपरोक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.02.2026 को अभियुक्त को जिला कारागार इटावा से तलब किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया,जिस पर अभियुक्त को कारागार से तलब किया गया तत्पश्चात दिनांक 18.03.2026 को अभियुक्त के तलब होकर न्यायालय उपस्थित आने पर उसका धारा–309 द०प्र०संहिता के तहत वारण्ट बनाकर उसको जेल भेजा गया। अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 18.03.2026 से जिला कारागार इटावा में निरूद्ध है।

6. अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अभियुक्त पूर्व में जमानत था,अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अजय दोहरे उर्फ राहुल** पुत्र सिपाही लाल निवासी गढेवा थाना रूरा जिला कानपुर देहात की ओर से विशेष वाद संख्या 34/2018 मु०अ०संख्या 540/2017 धारा 147,148,149,307,420 420,467,468,471 भा०दं०संहिता व धारा–10/12 द०प्र०क्षे०अधि० थाना भरथना जिला–इटावा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुवलिग 50,000/–(पचास हजार) रूपये का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक नवीन प्रतिभू एवं इस आशय का वचनपत्र कि वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित आयेगा,निष्पादित करने पर जमानत पर मुक्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की एक प्रति जरिये ई–मेल जिला कारागार इटावा प्रेषित की जाये।

दिनांक 09.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

(J.O.Code NO.U.P.1546)